



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/भण्डार/2025/1777

भोपाल, दिनांक 29/12/25

प्रति,

मैसर्स.....

.....

.....

विषय:- मालवाहक कय करने के संबंध में दरें आमंत्रित करने बाबत ।

000

उपरोक्त विषय में लेख है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय बिसनखेड़ी भोपाल के लिये एक मालवाहक वाहन कय किया जाना है इस हेतु निम्न बिन्दु के अनुसार अपनी दरें बंद लिफाफें में दिनांक 31 दिसम्बर 2025 तक उपलब्ध करायें :-

1. माल वाहक वाहन की लम्बाई 12 फीट होना चाहिए ।
2. कन्टेनर सहित माल वाहक वाहन होना चाहिए ।
3. आठ से 10 टन माल/सामग्री की क्षमता लेने वाला वाहन होना चाहिए ।
4. वि.वि.के पुराने वाहनों को वायबैक के रूप में दिया जायेगा । तदनुसार कार्यालयीन समय में फोन नं. 9131623291 पर संपर्क कर वाहन देख सकते हैं ।
5. उक्त शर्तों के अनुसार माल वाहक वाहन की दरें प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।
6. भुगतान की शर्तें, जी.एस.टी. आदि स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें ।

(प्रो.पी.शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. विश्वविद्यालय सूचना बोर्ड पर लगाये जाने हेतु ।
2. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किये जाने हेतु ।

(प्रो.पी.शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव